# विधि और विधायी कार्य विभाग

## भोपाल, दिनांक 24 सितम्बर 2007

फा. क्र. 6-10-06-इक्कीस-ब (दो).—विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 (1987 का 39) की धारा 28 के साथ पठित धारा 6 की उपधारा (5) तथा (6) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए और मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति के परामर्श से राज्य सरकार, एतद्द्वारा, निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

## नियम

- 1. संक्षिप्त नाम, प्रारंभ तथा लागू होना.—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम मध्यप्रदेश जिला विधिक सहायता अधिकारी (भर्ती) नियम, 2007 है.
  - (2) ये "मध्यप्रदेश राजपत्र" में इनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे.
  - ू (3) ये मध्यप्रदेश के समस्त जिला विधिक सहायता अधिकारियों को लागू होंगे.
    - 2. परिभाषाएं.-इन नियमों में, जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो :-
      - (क) ''सीधी भर्ती'' से अभिप्रेत है, नियम 4 के उपनियम (1) में विहित रीति में सीधी भर्ती;
      - (ख) ''सरकार'' से अभिप्रेत है, मध्यप्रदेश सरकार;
      - (ग) ''राज्य'' से अभिप्रेत है, मध्यप्रदेश राज्य;
      - (घ) ''मुख्य न्यायमूर्ति'' से अभिप्रेत है, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति;

- (ङ) ''कार्यपालक अध्यक्ष'' से अभिप्रेत है, विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 की धारा 6 के अधीन गठित राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण का कार्यपालक अध्यक्ष;
- (च) ''राज्य प्राधिकरण'' से अभिप्रेत है, विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 (1987 का 39) की धारा 6 के अधीन गठित मध्यप्रदेश राज्य विधि सेवा प्राधिकरण;
- (छ) ''अनुसूची'' से अभिप्रेत है, मध्यप्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण नियम, 1996 से संलग्न अनुसूची;
- (ज) ''अनुसूचित जाति'' से अभिप्रेत हैं, कोई जाति, मूलवंश या जनजाति अथवा ऐसी जाति, मूलवंश या जनजाति का भाग या उसमें का यूथ, जिसे भारत के संविधान के अनुच्छेद 341 के अधीन मध्यप्रदेश राज्य के संबंध में अनुसूचित जाति के रूप में विनिर्दिष्ट किया गया है;
- (झ) ''अनुसूचित जनजाति'' से अभिप्रेत है, कोई जनजाति या जनजाति समुदाय अथवा ऐसी जनजाति या जनजाति समुदाय का भाग या उसमें का यूथ, जिसे भारत के संविधान के अनुच्छेद 342 के अधीन मध्यप्रदेश राज्य के संबंध में अनुसूचित जनजाति के रूप में विनिर्दिष्ट किया गया है;
- (ञ) ''अन्य पिछड़ा वर्ग'' से अभिप्रेत है, राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर यथासंशोधित अधिसूचना क्र. एफ-8-5-पच्चीस 4-84, दिनांक 26 दिसम्बर 1984 द्वारा यथाविनिर्दिष्ट नागरिकों के अन्य पिछड़े वर्ग.
- (2) उन शब्दों तथा अभिव्यक्तियों का, जो इन नियमों में प्रयुक्त की गई है, किन्तु जिन्हें परिभाषित नहीं किया गया है, वही अर्थ होगा, जो विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 (1987 का 39) में उनके लिये दिया गया है.
- 3. जिला विधिक सहायता अधिकारियों की संख्या.—राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण में, जिला विधिक सहायता अधिकारियों की ऐसी संख्या होगी, जो कि राज्य सरकार द्वारा, समय-समय पर, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति के परामर्श से, मध्यप्रदेश राज्य विधिक सेवा नियम, 1996 से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट की जाए.
- 4. नियुक्ति प्राधिकारी तथा नियुक्ति का तरीका.—(1) जिला विधिक सहायता अधिकारियों के पदों पर समस्त नियुक्तियां मध्यप्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा चयन के आधार पर सीधी भर्ती द्वारा की जाएंगी.
- (2) अभ्यर्थियों का चयन मध्यप्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा आयोजित लिखित परीक्षा और उसके पश्चात् मौखिक साक्षात्काार के आधार पर किया जाएगा :

परन्तु अभ्यर्थियों का चयन करने के लिये परीक्षा लेने की प्रक्रिया तथा पाठ्यक्रम मध्यप्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा विहित किया जाएगा :

परन्तु यह और कि कार्यपालक अध्यक्ष, चयन समिति का अध्यक्ष होगा और चयन समिति की अध्यक्षता करेगा.

- (3) अभ्यर्थियों के चयन के लिये मध्यप्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा रिक्तियों की उपलब्धता के आधार पर यथासंभव प्रत्येक वर्ष परीक्षा आयोजित की जाएगी.
- 5. अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के लिये पदों का आरक्षण.—(1) सीधी भर्ती के लिये पद मध्यप्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिये आरक्षण) अधिनियम, 1994 के उपबंधों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के अभ्यर्थियों हेतु आरक्षित रखे जाएंगे.

- (2) मध्यप्रदेश सिविल सेवा (महिलाओं की नियुक्ति के लिये विशेष उपबंध) नियम, 1997 के उपबंधों के अनुसार महिला अभ्यर्थियों के लिये पद आरक्षित रखें जाएंगे.
- (3) नि:शक्त अभ्यर्थियों के लिये 3 प्रतिशत पद आरक्षित रखे जाएंगे बशर्तें कि वे उस कार्य को करने के लिये सक्षम पाये गये हों, जिसके लिये वे नियुक्त किये गये हैं.
- (4) नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा प्रमाणन-नियुक्ति प्राधिकारी, उसके द्वारा जारी किये जाने वाले नियुक्ति आदेश पर इस आशय के प्रमाण-पत्र का पृष्ठांकन करेगा कि उसने मध्यप्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिये आरक्षण) अधिनियम, 1994 (क्रमांक 21 सन् 1994) के उपबंधों तथा राज्य सरकार द्वारा उक्त अधिनियम के उपबंधों को ध्यान में रखते हुए जारी किये गये अनुदेशों का पालन किया है.
  - 6. पात्रता.—(1) कोई भी व्यक्ति जिला विधिक सहायता अधिकारी के पद पर सीधी भर्ती द्वारा नियुक्ति के लिये पात्र होगा यदि—
    - (क) वह भारत का नागरिक हो;
    - (ख) उसने उस वर्ष की, जिसमें भर्ती के लिये आवेदन-पत्र आमंत्रित किये गये हैं, आगामी वर्ष की पहली जनवरी को 21 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली हो और 35 वर्ष की आयु पूरी नहीं की हो :
    - परन्तु, यदि अभ्यर्थी अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों अथवा अन्य पिछड़े वर्गों का हो, तब उच्चतर आयु सीमा अधिकतम 3 वर्ष तक शिथिलनीय होगी :
    - परन्तु यह और कि मध्यप्रदेश सिविल सेवा (महिलाओं की नियुक्ति के लिये विशेष उपबंध) नियम, 1997 के उपबंधों के अनुसार महिला अभ्यर्थी के संबंध में उच्चतर आयु सीमा अधिकतम 10 वर्ष तक शिथिलनीय होगी :
    - परन्तु यह भी कि विधवा, निराश्रित एवं तलाकशुदा महिला अभ्यर्थियों के संबंध में उच्चतर आयु सीमा 5 वर्ष तक शिथिलनीय होगी :
    - परन्तु यह और भी कि ऐसे अभ्यर्थी को जो सरकारी सेवक हैं (चाहे स्थायी या अस्थायी हों) उच्चतर आयु सीमा 38 वर्ष तक शिथिलनीय होगी.
    - (ग) वह किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से विधि की उपाधि धारण करता हो;
    - (घ) उसने उस वर्ष की, जिसमें भर्ती के लिये आवेदन-पत्र आमंत्रित किये गये हैं, पहली जनवरी को कम से कम 3 वर्ष अधिवक्ता के रूप में विधि व्यवसाय किया हो; और
    - (ङ) वह अच्छे चिरत्र और अच्छे स्वास्थ्य का हो और किसी ऐसे शारीरिक दोष से मुक्त हो, जो उसे ऐसे पद के लिये अनुपयुक्त उहराता हो.
  - (2) फीस.—अभ्यर्थी को नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा विहित की गई फीस का भुगतान करना होगा.
- 7. निरर्हता.—(1) किसी अभ्यर्थी द्वारा अपनी अभ्यर्थिता के लिये किन्हीं भी साधनों के समर्थन अभिप्राप्त करने के किसी भी प्रयास को, मध्यप्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा परीक्षा में प्रवेश के लिये उसकी निरर्हता माना जा सकेगा.
- (2) कोई अभ्यर्थी जिसने विवाह के लिये नियत न्यूनतम आयु के पूर्व विवाह कर लिया हो, जिला विधिक सहायता अधिकारी के पर पर नियुक्ति के लिये पात्र नहीं होगा.
- (3) कोई अभ्यर्थी, जिसकी दो से अधिक जीवित सन्तान हों, जिनमें से एक का जन्म 26 जनवरी, 2001 को या उसके पश्चात् हुआ हो, जिला विधिक सहायता अधिकारी के पद पर नियुक्ति के लिये पात्र नहीं होगा.

- 8. अभ्यर्थी की पात्रता के बारे में मध्यप्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण का विनिश्चय अंतिम होगा.—परीक्षा में प्रवेश के लिये किसी अभ्यर्थी की पात्रता या शन्यथा के बारे में मध्यप्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण का विनिश्चय अंतिम होगा.
- 9. मध्यप्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा सिफारिश किये गये अभ्यर्थियों की सूची.—(1) मध्यप्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण ऐसे अभ्यर्थियों की, जो ऐसे स्तर से अर्हित हों, जैसा कि राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण अवधारित करें, योग्यता क्रम से बनाई गई एक सूची, सरकार को अग्रेषित करेगा. सूची सर्वसाधारण की जानकारी के लिये प्रकाशित की जायेगी.
- (2) इन नियमों तथा मध्यप्रदेश सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम, 1961 के उपबंधों के अध्यधीन रहते हुए, उपलब्ध रिक्तियों पर अभ्यर्थियों की नियुक्ति के लिये उसी क्रम में विचार किया जायेगा, जिसमें कि उनके नाम, सूची में आये हैं.
- (3) सूची में अभ्यर्थी का नाम सम्मलित किये जाने से ही उसे नियुक्ति का कोई अधिकार तब तक प्राप्त नहीं होगा जब तक कि नियुक्ति प्राधिकारी का ऐसी जांच करने के पश्चात् जैसी की आवश्यक समझी जाये, यह समाधान नहीं हो जाता कि अभ्यर्थी सेवा में नियुक्ति के लिये सभी प्रकार से उपयुक्त है.
  - (4) चयन सूची उसके जारी किये जाने की तारीख से एक वर्ष की कालाविध के लिये विधिमान्य होगी.
- 10. परिवीक्षा.—(1) जिला विधिक सहायता अधिकारी के पद पर नियुक्त व्यक्ति उस तारीख से, जिसको वह कार्यभार ग्रहण करता है, साधारणत: दो वर्ष की कालाविध के लिये परिवीक्षा पर रहेगा.
  - (2) राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण किसी समय परिवीक्षा की कालाविध बढ़ा सकेगा.
- (3) परिवीक्षा की कालाविध सफलतापूर्वक पूर्ण कर लेने पर, परिवीक्षाधीन व्यक्ति, यदि स्थायी पद उपलब्ध हैं, तो उस पद पर, जिस पर उसे नियुक्त किया गया है, स्थायी कर दिया जायेगा और यदि कोई स्थायी पद उपलब्ध नहीं है तो राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा इस आशय का एक प्रमाण-पत्र जारी किया जायेगा कि उसे स्थायी कर दिया गया होता, किन्तु स्थायी पद उपलब्ध न होने के कारण ऐसा नहीं किया जा सका है और जैसे ही कोई स्थायी पद उपलब्ध होता है उसे स्थायी कर दिया जायेगा.
- 11. **पदस्थापना तथा स्थानान्तरण.**—जिला विधिक सहायता अधिकारियों की पदस्थापनाएं एवं स्थानान्तरण कार्यपालक अध्यक्ष द्वारा किये जाएंगे.
- 12. ज्येष्ठता.—जिला विधिक सहायता अधिकारी के पद पर नियुक्त किये गये व्यक्तियों की ज्येष्ठता, मध्यप्रदेश सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम, 1961 के उपबंधों के अनुसार अवधारित की जायेंगी.
- 13. शपथ.—जिला विधिक सहायता अधिकारियों के पद पर नियुक्त प्रत्येक व्यक्ति, पद ग्रहण करने के पूर्व, ऐसे व्यक्ति के समक्ष जिसे मुख्य न्यायमूर्ति द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाए, निम्नलिखित प्रारूप में शपथ लेगा या प्रतिज्ञान करेगा;
- ''मैं. . . . . . . . . . . . जो जिला विधिक सहायता अधिकारी के रूप में नियुक्त हुआ हूँ, ईश्वर की शपथ लेता हूँ/सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूँगा. मैं भारत की प्रभुता और अखण्डता अक्षुष्ण रखूँगा.
- मैं, सम्यक् प्रकार से और श्रद्धापूर्वक अपनी पूरी योग्यता, ज्ञान और विवेक से अपने पद के कर्तव्यों का भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना पालन करूंगा तथा में संविधान और विधियों की मर्यादा बनाए रखूंगा.
- 14. शिथिल करने की शक्ति.—जहां मुख्य न्यायमूर्ति का यह समाधान हो जाता है कि इन नियमों में से किसी नियम के प्रवर्तन से किसी विशिष्ट मामले में अनावश्यक कठिनाई होती है तो वह, आदेश द्वारा तथा लेखबद्ध किये जाने वाले कारणों से और ऐसी सीमा तक एवं ऐसे अपवादों और शर्तों के अध्यधीन रहते हुए, जैसा कि वह आवश्यक समझे, उस विशिष्ट नियम से अभियुक्ति दे सकेगा या उसे शिथिल कर सकेगा:

परन्तु जब भी मुख्य न्यायमूर्ति द्वारा ऐसा शिथिलीकरण किया जाता है तो उसकी जानकारी मध्यप्रदेश शासन, विधि विभाग को भेजी जायेगी.

- 15. शंकाओं का निराकरण.—यदि इन नियमों के निर्वचन के संबंध में कोई शंका उद्भूत होती है तो मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति का विनिश्चय अंतिम होगा.
- 16. निरसन तथा व्यावृत्ति.—समस्त ऐसे नियम, जो इन नियमों के तत्स्थानी हों तथा समस्त ऐसे आदेश, परिपत्र तथा संकल्प, यदि कोई हों तथा इन नियमों के प्रारम्भ होने के ठीक पूर्व प्रवृत्त हों. इन नियमों के अन्तर्गत आने वाले मामलों के संबंध में एतद्द्वारा निरसित किये जाते हैं:

परन्तु इस प्रकार निरसित नियमों, आदेशों, परिपत्रों तथा संकल्पों के अधीन किया गया कोई आदेश या की गई कोई कार्यवाई इन नियमों के तत्स्थानी उपबन्धों के अधीन किया गया आदेश या की गई कार्रवाई समझी जाएगी.

> मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, विनोद भारद्वाज, अपर सचिव.

#### भोपाल, दिनांक 24 सितम्बर 2007

फा. क्र. 6-10-06-इक्कीस-ब (दो).—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 24 सितम्बर 2007 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

> मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, विनोद भारद्वाज, अपर सचिव.

### Bhopal, the 24th September 2007

फा. क्र. 6-10-06-इक्कीस-ब(दो).—In exercise of the powers conferred by sub-sections (5) and (6) of Section 6 read with Section 28 of the Legal Services Authorities Act, 1987 (39 of 1987), the State Government, in consultation with the Chief Justice of High Court of Madhya Pradesh, hereby makes the following rules, namely:—

#### RULES

- 1. Short titile, commencement and application.— (1) These rules may be called the Madhya Pradesh District Legal Aid Officer (Recruitment) Rules, 2007.
  - (2) They shall come into force from the date of their publication in the Madhya Pradesh Gazette.
  - (3) They shall be applicable to all District Legal Aid Officers of the Madhya Pradesh.
  - 2. Definitions.— (1) In these rules, unless the context otherwise requires,—
    - (a) "Direct Recruitment" means direct recruitment in the manner prescribed in sub-rule (1) of Rule 4;
    - (b) "Government" means the Government of Madhya Pradesh;
    - (c) "State" means the State of Madhya Pradesh;
    - (d) "Chief Justice" means the Chief Justice of the High Court of Madhya Pradesh;
    - (e) "Executive Chairman" means the Executive Chairman of the State Legal Services Authority constituted under Section 6 of the Legal Services Authorities Act, 1987;
    - (f) "State Authority" means the Madhya Pradesh State Legal Services Authority constituted under Section 6 of the Legal Services Authorities Act, 1987 (39 of 1987);

- (g) "Schedule" means schedule appended to the Madhya Pradesh State Legal Services Authority Rules, 1996;
- (h) "Scheduled Caste" means any caste, race or tribe or part of or group within a caste, race or tribe specified as scheduled Caste with respect to the State of Madhya Pradesh under Article 341 of the Constitution of India;
- (i) "Scheduled Tribe" means any tribe, tribal community or part of or group within a tribe or tribal community specified as Scheduled Tribe with respect to the State of Madhya Pradesh under Article 342 of the Constitution of India;
- (j) "Other Backward Classes" means the other backward classes of citizens as specified by the State Government Vide Notification No. F-8-5-XXV-4-84, dated the 26th December, 1984 as amended from time to time.
- (2) The words and expressions used but not defined in these rules shall have the same meaning assigned to them in the Legal Services Authorities Act, 1987 (39 of 1987).
- 3. Number of District Legal Aid Officers.—The State Legal Services Authority shall have such number of District Legal Aid Officer, as may be specified in the Schedule appended to the Madhya Pradesh State Legal Services Authority Rules, 1996 by the State Government in consultation with the Chief Justice of the Madhya Pradesh High Court from time to time.
- 4. Appointing Authority and Method of appointment.—(1) All appointments to the post of District Legal Aid Officer shall be made by the Madhya Pradesh State Legal Services Authority by direct recruitment on the basis of selection.
- (2) The candidates shall be selected on the basis of written examination conducted by the Madhya Pradesh State Legal Services Authority and Viva-voce thereafter:

Provided that the procedure and curriculum for holding examination for selection of the candidates shall be prescribed by the Madhya Pradesh State Legal Services Authority:

Provided further that the Executive Chairman shall be the Chairman of the Selection Committee and shall preside over the Selection Committee.

- (3) The examination shall be conducted every year as far as possible on the basis of availability of the vacancies by the Madhya Pradesh State Legal Services Authority for selection of candidates.
- 5. Reservation of posts for Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes.—(1) Posts for direct recruitment shall be reserved for the candidates belonging to Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes in accordance with the provisions of the Madhya Pradesh Lok Sewa (Anusuchit Jatiyon, Anusuchit Jan Jatiyon Aur Anya Pichhade Vargon Ke Liye Arakshan) Adhiniyam, 1994.
- (2) There shall be reserved posts for women candidates in accordance with the provisions of Madhya Pradesh Civil Services (Special Provision for Appointment of Women) Rules, 1997.
- (3) There shall be 3% reserved posts for disabled candidates provided that they are found competent for the work for which they are being appointed.
- (4) Certification by the Appointing Authority—Appointing Authority shall enderse on the appointment order to be issued by him, a certificate to the effect that he has complied with the provisions of the Madhya Pradesh Lok Seve (Anusuchit Jatiyon, Anusuchit Janjatiyon Aur Anya Pichhade Vargon Ke Liye Arakshan) Adhiniym, 1994 (No. 21 of 1994) and the instructions issued in the light of the provisions of the said Adhiniyam by the State Government.

- 6. Eligibility.—(1) A person shall be eligible for appointment by direct recruitment to the post of District Legal Aid Officer, if—
  - (a) he is a citizen of India;
  - (b) he has attained the age of 21 years and not completed the age of 35 years on the first day of January of the next following year, in which applications for recruitment are invited:
  - Provided that the upper age limit shall be relaxable upto a maximum of three years, if the candidate belongs to Schedule Castes, Scheduled Tribes or Other Backward Classes:
  - Provided further that the upper age limit shall be relaxable upto a maximum of 10 years in respect of a Woman candidate in accordance with the provisions of the Madhya Pradesh Civil Services (Special Provisions for Appointment of Women) Rules, 1997:
  - Provided also further that the upper age limit shall be relaxable upto 5 years in respect of the widow, destitute and divorced women cnadidates:
  - Provided also further that the upper age limit of a candidate, who is a Government Servant (whether permanent or temporary) shall be relaxable upto 38 years:
  - (c) he possesses a Degree of Law from a recognized University;
  - (d) he has practised as an Advocate for not less than three years on the first day of January of the year, in which the applications for recruitment are invitred; and
  - (e) he has good character and is of sound health and free from any bodily defect which renders him unfit for such post.
  - (2) Fees.—The candidate must pay the fees prescribed by the Appointing Authority.
- 7. Disqualification.—(1) Any attempt on the part of a candidate to obtain support for his/her candidature by any means may be held by Madhya Pradesh State Legal Services Authority to disqualify him from admission to the examination;
- (2) No candidate shall be eligible for appointment to the post of District Legal Aid Officer, who has married before the minimum age fixed for marriage;
- (3) No candidate shall be eligible for appointment to the post of District Legal Aid Officer who has more than two living children, one of whom is born on or after 26th January, 2001.
- 8. Madhya Pradesh State Legal Services Authority's decision about the eligibility of the candidate shall be final.—The decision of the Madhya Pradesh State Legal Services Authority to the eligibility or otherwise of a candidate for admission in the examination shall be final.
- 9. List of candidates recommended by the Madhya Pradesh State Legal Services Authority.—
  (1) Madhya Pradesh State Legal Services Authority shall forward to the Government a list arranged in order of merit of the candidates, who have qualified by such standard, as the State Legal Services Authority may determine. The list shall be published for general information.
- (2) Subject to the provisions of these rules and the Madhya Pradesh Civil Services (General Conditions of Service) Rules, 1961, candidates shall be considered for appointment to the available vacancies in the order, in which their names appear in the list.
- (3) The inclusion of a candidate's name in the list does not confer any right to appointment unless the Appointing Authority is satisfied after such enquiry as may be considered necessary, that the candidate is suitable in all respects for appointment to the service.

- (4) The select list shall be valid for a period of one year from the date of its issuance.
- 10. Probation.—(1) A person appointed to the post of District Legal Aid Officer shall from the date on which he joins duty, be on probation ordinarily for a period of two years.
  - (2) The State Legal Services Authority may at any time extend the period of probation.
- (3) On successful completion of probation, a probationer shall, if there is permanent post available, be confirmed on the post to which he has been appointed and if no permanent post is available, a certificate shall be issued by the State Legal Services Authority to the effect that he would have been confirmed, but for non-availability of permanent post and as soon as a permanent post becomes available, he will be confirmed.
- 11. Posting and Transfers.—All postings and transfers of District Legal Aid Officers shall be made by the Executive Chairman.
- 12. Seniority..—The seniority of persons appointed on the post of District Legal Aid Officer shall be determined in accordance with the provisions of the Madhya Pradesh Civil Services (General Conditions of Service) Rules, 1961.
- 13. Oath.—Every person appointed on the post of District Legal Aid Officer, before he joins, shall make and subscribe before such person, as may be specified by the Chief Justice, oath or affirmation in the following form:

That I will duly and faithfully and to the best of ability and knowledge perform the duties of my office without fear or favour, affection or ill-will and that I will uphold the Constitution and law."

14. Power of Relaxation.—Where the Chief Justice is satisfied that the operation of any of these rules causes undue hardship in any particular case, he may, by order, for the reasons to be recorded in writing, dispense with or relax the particular rule to such extent and subject to such exceptions and conditions, as may be deemed necessary:

Provided that as and when any such relaxation is granted by the Chief Justice, the State Government in Law Department, shall be informed of the same.

- 15. Removal of doubts—If any doubt arises relating to the interpretation of these rules, the decision of the Chief Justice of the High Court of Madhya Pradesh shall be final.
- 16. Repeal and Saving.—All rules corresponding to these Rules, Orders, Circulars and Resolutions, if any, and in force immediately before the commencement of these rules, are hereby repealed in respect of matters covered by these rules:

Provided that any order made or action taken under the Rules, Orders, Circulars and Resolutions so repealed, shall be deemed to have been made or taken under the corresponding provisions of these Rules.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,

VINOD BHARDWAJ, Addl. Secy.